4621. डा० नौनिहाल सिंह
श्री सोम पाल :
चौधरी हरि सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उर्वरकों के मूल्य निर्धारण और उन पर दी जाने वाली राज सहायता की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा के लिए गठित की गई संसदीय समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा किसी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है और सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय लिया गया है या लिया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Termination of Services of Employees in IDPL

4622. SHRIMATI KAMLA SINHA: SHRI MD. SALIM:

Will the PRIME MINISTER be plea sed to refer to the answer to Unstarr ed Question 2259 given in the Rajya Sabha on the 30th July, 1902 and state;

(a) whether the order of termina tion of services of employees of IDPL due to unauthorised absence has been given effect from 12th March, 1989, retrospectively, though the Rule 30-A of C.D.A. Appeal Rules was introduced from 30th March, 1990 and the order concerned is dated 12th March, 1991;

(b) whether the operation of Rule 30-A retrospectively contradicts the clear direction of the Supreme Court that the period of unauthorised absence posterior to the date of introduction of such a rule alone is punishable; and

(c) if so, what corrective measures Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF^STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MO HAN) : (a) As reported by IDPL, the services of two employees, namely, Shri R. K. Shewramani and Shri Kamal Bhasin were terminated in terms of Rule 30-A. The termination of services of the said employees were effective from 8.1.1991 ancL 12.3.91 respectively.

(b) and (c) In view of the reply to (a) above, these questions do not arise.

Quantity of foodgrains supplied to Public Distribution System

4623. SHRI VITHALRAO MADH-AVRAO JADHAV: Will the PRIME MINISTER be pleased to state.-

(a) what is the quantity of foodgrains supplied to Public distribution system since January 1992 to June, 1992;

(b) whether Government have received the grievances from Fair Price Shop dealers of mis-handling;

(c) if so, what steps are being taken by Government to remove the grievances; and

(d) whether there are any comp laints about public distribution sys tem from the general public from different parts of the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED); (a) The quantity of rice and wheat lifted (offtake) by the States/UTs for distribution under the Public Distribution

System since January, 1992 to June, 1992 ig given below :—

(in tonnes)

Month	Quantity Lifted by States /Uts.	
	Rice	Wheat
January, 92 . .	785900	717100
February, 92 . .	765600	749100
March, 92 . .	673800	746500
April, 92 . .	679700	539400
May, 92 . .	785700	631500
June, 92 . .	818700	684800

(b) to (d) The overall responsibility for the implementation of the Public distribution System (PDS) rests with the State Government!UT Administrations, Decisions regarding opening of Fair Price Shops (FPS), allocation of foodgrains to districts etc., enforcement of Essential Commodities Act and other related matters are taken by the State Governments. Proper implementation and redressal of grievances from fair price shops licences and other public is also done by them. In a vast operation of such magnitude in which more than 16 million tonnes of foodgrains are handled per annum, some complaints here and there about the functions of PDS cannot be ruled out.

सरकारी डिपुओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण

4624. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश भर में गरीबी ी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को अन्य उपभोक्ताओं की तुलना में कम दर पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं सरकारी डिपुओं के माध्यम से देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

नागरिक आपूर्ति, और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) गरीबी की रेखा से नीचे लोगों को अपेक्षाकृत कम दरों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों के जरिए आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कोई विशिष्ट प्रस्ता नहीं है । सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सभ के लिए है और इसमें आय अथवा वसाय के आधार पर लाभभोगियों के बी भेदभाव नहीं किया जाता । आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की कारगर पहुंच में सुधार करने की दृष्टि से, लगभग 1700 ब्लाकों की पहचान की गई है जहां समाज के निर्धन वर्गों का एक बड़ा हिस्सा रहता है । इन अभिज्ञात क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण विशेष रूप से राजसहायता प्राप्त दरों पर किया जाता है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामान्य दरों से 50/- रु० प्रति क्विंटल कम होती है ।

राज्यों के लिए निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का कोटा

4625. **श्री महेश्वर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरणप्रणाली के अंतर्गत प्रदेशवार, चावल, गेहूं, चीनी और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री का कितना-कितना कोटा कितनी-कितनी जनसंख्या के लिए निर्धारित किया गया है ; और

(ख) उपर्युक्त कोटे के अनुसार प्रति व्यक्ति खाद्य पदार्थों की आबंटित मात्रा कितनी है और उनकी वास्तविक मांग कितनी है ?